ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-12* January- 2018
Innovation The Research Concept

मुरैना जिले में ग्रामीण आर्थिक विकास का इतिहास (1992–2002)

अर्चना शर्मा
व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
कमला महाविद्यालय,
धौलपुर, राजस्थान

राजेश शर्मा
व्याख्याता,
समाज शास्त्र विभाग,
राजकीय कन्या स्नात्कोतर
महाविद्यालय,
धौलपुर, राजस्थान

सारांश

मुरैना जिला मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र बहुत समय से दस्यु समस्या से पीड़ित होने के कारण पिछड़ा रहा है, इसके कारण क्षेत्र में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, वेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियाँ आदि है। मुरैना जिले में आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाला एक मात्र तथ्य प्राकृतिक संसाधनो की प्रचुरता ही नहीं है वरन् प्राकृतिक संसाधनो का उचित उपयोग भी आवश्यक है। भूमि, पानी, जलवायु एवं वनस्पतियाँ प्रकृति की अनमोल संपदा है जिन पर प्रत्येक जीवधारी जीविकोपार्जन हेतु निर्भर है। अतः आने वाली पीढ़ियो के लिये इन संपदाओं का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। मुरैना जिले की अधिकांश जनसंख्या गाँवो में निवास करती है। मुरैना जिले को विकसित जिला बनाने के लिए गाँवो का विकास आवश्यक है।

जिले की सबसे बड़ी समस्या गाँवो में आधारभूत सुविधाओ की कमी होना था। पंचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से सरकार गाँव में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाऐं यथा शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पानी आदि के लिए प्रयास करती रही है। मुरैना जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति कृषि, सिंचाई, पशुपालन, उघोग–धन्धे तथा फसल प्रतिमान पर निर्भर करती है। जिले के अलग–अलग क्षेत्रो के विकास के लिए क्षेत्र आधारित योजनाऐं तथा विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह आधारित कार्यक्रम चलाए जाते रहे है इन कार्यक्रमों के चलते मुरैना जिले की तस्वीर काफी हद तक बदली है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सड़क सुविधाओ का विकास हुआ है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, पंचायतीराज।

प्रस्तावना

मुरैना जिले का मानव समाज परंपरावादी और अंधविश्वासी है। जो कोई भी प्राचीन परंपरा और अंधविश्वास प्रचलित है, उन्ही के आधार पर भावी पीढ़ी के सम्पूर्ण कियाकलाप होते रहते है। प्राचीन परंपरा और अंधविश्वास में से एक सजीव और प्रत्यक्ष उदाहरण मुरैना जिला और उसकी सहायक नदियों द्वारा होने वाले अपरदन की स्वतंत्रता में बाधा न डालना भी है।

जिन्दगी के दो बुनियादी सवाल है –रोजी और राटी। रोजी और रोटी के अन्तर्गत कई प्रश्न उत्पन्न होते है, जिनका सीधा संबंध जिन्दगी से है क्या? रोजी से रोटी मिल जाने पर अथवा रोटी के लिए रोजी मिल जाने पर मनुष्य संतोष की सांस लेता है। जीवन के विस्तृत पल पर नजर दौड़ेने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इसमें जीवन में संतोष, शांती नहीं मिलती है। हम इसके साथ–साथ कुछ और चाहते है, जिसको पाने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते है और जिसके लिए वह जीवन में प्रत्येक प्रकार की कुर्बानी कर सकता है इसका आशय यह है कि रोजी, रोटी दे देती है, परन्तु इसमें संतुष्टी नहीं होती है। हम उसके साथ–साथ सामाजिकता भी चाहते है। अतः इसके लिए पूरे देश का एक साथ (ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में) विकास होना आवश्यक है परन्तु भारत में अधिकांश लोग ग्रामों में निवास करते है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार शिला ग्रामीण विकास है। इसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक विकास परम् आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मुरैना जिला। यह क्षेत्र दस्यु समस्या से पीड़ित होने के कारण यह काफी पिछड़ा जिला रहा है। इस जिले के विकास के लिए यहॉ के ग्रामीण अंचलो का समुचित विकास करना नितांत आवश्यक है। आर्थिक विकास संबंधित योजना करने से पूर्व हमें इस क्षेत्र की आर्थिक विशेषताओं पर भी संक्षिप्त रूप से विचार कर लेना चाहिए। इस जिले की अर्थव्यवस्था की निम्न प्रमुख विशेषताये है :–

1. श्रम शक्ति का बाहुल्य,
2. पूँजी की न्यूनंता,
3. बेरोजगारी (दृश्य एवं अदृश्य),
4. कम बचत एवं पूँजी निर्माण की कम दर,
5. ग्रामीण अंचल में शिक्षा का अभाव,
6. सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास,
7. औद्यौगिक विकास का अभाव,
8. सरकारी कार्सक्रमों की जानकारियों का अभाव,
9. तकनीकि शिक्षा का अभाव,

इस जिले की यह विशेषताये दिन–प्रतिदिन बिना बोई गई अमर–बेल की तरह फैलती जा रही है और अपने प्रभाव से धीरे–धीरे इसे कमजोर बना रही है। इस अमर–बेल रुपी जाल को समाप्त करने के लिए इस जिले में ग्रामीण विकास आवश्यक हो गया है। जो मेरे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना

आज हमारे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, राजनीतिक उथल–पुथल आदि समस्याएं द्रोपती के चीर की तरह बढ़ती जा रही है। इन तमाम समस्याओं के मुकाबले के लिए देश में योजना बुद्ध तरीके से विकास करना शुरु किया है। जिसमें पंचवर्षीय योजनाओ, वार्षिक योजनाओं एवं 20 सुत्रीय कार्यक्रमों आदि योजनायें क्रियान्वित की गई है। यद्यपि इन कार्यक्रमों के तहत् देश विकास की कई सीढ़ियों को लांघ चुका है। मुरैना जिला जहॉ, इन योजनाओ की रोशनी का प्रभाव क्या हुआ? क्या इस क्षेत्र का ग्रामीण विकास हुआ? यह जानने के लिए इस शोध में निम्न परिकल्पनाओं को विकसित किया गया है।

1. पंचायतीराज व्यवस्था के प्रति सभी ग्रामीण व्यक्तियों में अभिज्ञान या जागरुकता समान रुप से नहीं पाई जाती है। जागरुकता तथा सहभागिता की मात्रा उनकी जाति, आय, व्यवसाय, शिक्षा तथा आयु परिवर्तनो से संबंधित होती है।
2. पंचायतीराज के प्रति जिन ग्रामीण समूहों में अभिज्ञान या जागरुकता जितनी कम पाई जाती है उन समूहों में पंचायतो के गठन एवं परिचालन के प्रति उतना ही अधिक नकारात्मक या प्रतिकूल दृष्टिकोण पाया जाता है।
3. व्यक्तियों में पंचायतीराज के प्रति जागरुकता की मात्रा जितनी कम होती है, पंचायतों की निर्णय प्रकिया को नापसन्द करने की प्रवृति उनमें उतनी ही अधिक होती है।
4. लघू एवं कुटीर उद्योगो के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर इस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है।
5. मानवीय एवं भौतिक साधनो को विकसित करके सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
6. ग्रामीण स्तर पर उर्जा की बचत करके विकास किया जा सकता है।
7. श्रम शक्ति को कम पूँजी के साथ ग्रामोद्योग में तकनीक परिवर्तन कर आर्थिक विकास किया जा सकता है।
8. आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण को इस क्षेत्र में प्रयोग कर मुरैना जिले का विकास किया जा सकता है।

शोध रुपरेखा

आज के वैज्ञानिक युग में प्रत्येक समस्यामूलक तथ्य की परीक्षा वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। सामाजिक अनुसंधानों में तो इसका महत्व और भी अधिक है क्योकि इसमें तथ्य और घटनायें बड़ी ही विचित्र परिवर्तनशील एवं जटिल प्रकृति की होती है।

यह अध्ययन आम जनता (ग्रामीणों से) शिक्षाविद एवं सांख्यिकी विभाग आदि से एकत्रित किये गये प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको पर आधारित है, जो मुरैना जिले में 679 ग्राम पंचायतों तथा 1401 ग्राम तथा 10 जनपद पंचायतो के ग्रामीण क्षेत्रो से एकत्रित किये गये आंकड़ो पर आधारित अध्ययन है। इस जनसंख्या से साक्षरता का प्रतिशत बिन्दु भी निम्न ठहराता है। अतः ऐसी स्थिति में एक वृहद क्षेत्र को इस सीमा तक संतुलित किया जाये कि कम इकाइयों के बावजूद भी अध्ययन में विश्वसनीयता बनी रहे। समग्र का प्रतिनिधित्व हो सके इस हेतु निर्देशन पद्धति द्वारा इस कार्य को पूर्णता प्रदान की गई है।

मुरैना जिले में ग्रामीण आर्थिक विकास

पंचायतीराज में आर्थिक क्षेत्रो के विकास द्वारा ग्रामीणों की जीविकोपार्जन में वृद्धिकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाता है। पंचायतीराज में आर्थिक क्षेत्रों के विकास के जिन पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया, उनमें उद्योग धंधो का विकास, सिचाई की व्यवस्था, पशुओ की नस्ल में सुधार, कृषि में सुधार, भूमिहीन मजदूरो की सहायता तथा सहकारी समितियों का विकास आदि प्रमुख है जो इस प्रकार है –

उद्योग धन्धों का विकास

ग्राम्य जीवन यूं तो कृषि से ही प्रत्यक्ष रुप से जुड़ा है परन्तु कृषि कार्य में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अनेक सामान की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों का विकास करने में ग्रामीण को मार्गदर्शन प्रदान करती है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में यह महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगो के अंतर्गत लोगो को प्रोत्साहित करकें रेशम उद्योग तथा खादी उद्योग, पोलिस्टर उद्योग आदि के प्रोत्साहन एवं विस्तार के विशेष प्रयास किये है। पंचायतों के द्वारा गॉव में लघु एवं कूटीर उद्योग स्थापित करने के लिये प्रमुख योजनाओं – प्रधानमंत्री रोजगार, नेहरु रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योाजना, मार्जिन राशि रोजगार (ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की संजीवनी) आदि को चलाया जा रहा है। इनमें से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के चालू वर्ष 1999–2000 में लाभान्वित हितग्राही संस्था 890 रही जिसमें वर्ष में वितरित ऋण राशि 339.84 लाख तथा वर्ष में वितरित अनुदान राशि 164.42 लाख थी। जबकि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित 100% राशि को तीन भगों में यथा 20% जिला स्तर को,

15% जनपद स्तर को तथा 65% ग्राम पंचायत स्तर को वॉट दिया जाता है।

पशुओ की नस्ल में सुधार

मध्यप्रदेश के ग्रामीण जीवन में पशुओ का एक विशिष्ट स्थान रहा है। यहॉ पशुओ की संख्या सर्वाधिक है किन्तु पशुओ की नस्ल निम्न है। ग्राम पंचायतो नये–नये पशुओ से संबंधित केन्द्रो को स्थापित करके पशुओ की नस्ल को सुधारने। उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने तथा बीमारी की स्थिति में उचित उपचार कराने आदि से सम्बन्धित कार्य कर रही है। ग्रामीण जन चुंकि अधिकांशत अशिक्षित होते है उन्हे पशु चिकित्सा संबंधित उचित ज्ञाान भी नही होता। अतः पंचायत ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में उनका उचित मार्गदर्शन व सहयोग करती है। पशुओ की नस्ल में सुधार के लिये ग्रामीण की आर्थिक सहायता हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों द्वारा पशुओ का बीमा किया जाता है। जिला मुरैना में न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी मुरैना, ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी एवं यूनाइटेड कम्पनी आदि कम्पनी बीमा का कार्य कर रही है। इस प्रकार पंचायत स्तर पर पशुओ की नस्ल में सुधार हेतु कार्य किये जा रहे है।

कृषि में सुधार

मुरैना जिले का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिनमें अधिकाशतः व्यक्ति परम्परागत ढंग से ही कृषि कार्य करते है। जिसमें भूमि की शक्ति क्षमता शीघ्र ही क्षीण हो जाती है तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त सामग्री का चयन भी उचित ढंग से नहीं करते है पंचायतो के द्वारा ग्राम वासियों को कृषि संबंधित नवीन जानकारी प्रदान की जाती है। उन्हें रासायनिक खादो व अच्छे बीजो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है तथा उचित सहायता प्रदान की जाती है। कृषि कार्यो के प्रोत्साहन के लिये प्रमुख योजनाओ के अंतर्गत गंगा कल्याण योजना, ट्रेक्टर का अनुदान पर वितरण, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गोबर/कम्पोस्ट खाद प्रोत्साहन, संकट हरण बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि द्वारा किसान को सहायता पहुँचाई जा रही है, जिससे खेती के प्रति लगाव बढने से कृषि पैदावार बढी है, जिससे जिले को अनाज के संकट से मुक्ति मिली है तथा अनाज का निर्यात भी बढ़ा है। इस प्रकार कृषि ग्रामीण विकास के साथ–2 देश का विकास करने में भी सहयोग प्रदान करती है।

सिचाई की व्यवस्था

कृषि एक बहुत बडी सीमा तक प्रकृति पर ही निर्भर है, अर्थात हमारे यहॉ कृषि का अच्छा बुरा होना वर्षा जल पर ही निर्भर करता है। वर्षा के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओ में कुंओ, तालाबो, नदियो आदि का सहयोग लिया जाता है। मुरैना जिले के सभी विकास खण्डो में 2002–03 में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1745, नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र 11462, कुओ द्वारा सिंचित क्षेत्र 127135 तथा तालाबो द्वारा सिंचित क्षेत्र 468 है। ग्राम पंचायतो, ग्रामीण क्षेत्रो का सुचारु रुप से विकास करने हेतु कुओ, तालाबो आदि का निर्माण करवाना सिंचाई हेतु नलियो का निर्माण करवाना व सहयोग देना, उनकी मरम्मत करवाना तथा ग्रमीण कार्यो का सम्पादन कर रही है।

भूमिहीन मजदूरों की सहायता

पंचायतीराज को प्रभावशाली बनाने हेतु अशोक मेहता समिति ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि ग्राम में भूमिहीन कृषको एवं मजदूर वर्गो के समुचित विकास के लिए ग्राम पंचायता स्तर पर ही प्रयास किये जाने चाहिए।

इस प्रकार ग्रामों में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति निवास करते है, जो कृषि में मजदूरी के रुप में कार्य करते है क्योंकि इनके पास कृषि भूमि खरीदने हेतु आय के स्त्रोत व पैसा नहीं है और ये किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते है। पंचायतो द्वारा भूमिहीन मजदूरो को उचित मजदूरी व भूमि की व्यवस्था आदि का प्रबंध किया जाता है। पंचायते भूमिहीन मजदूरो को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है। भूमिहीन मजदूरो की सहायता के लिये भारत साकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा –"भूमिहीन खेतिहार मजदूरो के लिये निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना" संचालित की है।

सहकारी समितियों का विकास

ग्राम वासियो की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तथा ग्रामीणों की समस्याओ का तात्कालिक निराकरण करने के लिए पंचायतो की सहायता से तथा सरकारी प्रयत्नों से विभिन्न सहकारी समितियों का विकास किया गया। पंचायतें ग्रामवासियो को ऐसी सहकारी समितियों से लाभ प्राप्त करने तथा समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित व प्रेरित करती है। ग्राम वासियों को सहकारिता में भाग लेने हेतु प्रेरित करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण आदि दिलाने में मदद कर सकें।

निष्कर्ष

संविधान में 73वां संसोधन कर पंचायती राज को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया फिर भी पंचायती राज आज भी अपनी कमजोरियो से जूझ रहा है एक ओर सरपंच पतियों के दरवल की बात कही जाती है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के मुद्दे पंचायतो के आगे बढ़ने में रोड़ा माने जाते है किन्तु मुख्यमंत्री के विधायको व सांसदो को मिलने वाली विकास राशि में से पार्टी फण्ड के लिए हिस्सा मांगने पर भी इसे दर गुजर किया जाता है पैसे के बल पर राज्य व केन्द्र सरकारो के बहुमत को इधर से उधर डिगानें के भी उदाहरण है। जब पूरी ही राष्ट्रीय राजनीति भ्रष्टाचार एवं उठा–पटक होती है तो पंचायती राज्य में भी उसका असर स्वभाविक है।

इन सब के बावजूद भी पंचायतीराज लागू हो जाने के बाद ग्रामीण विकास में नई क्रांति आ रही है। परन्तु इन पंचायती राज संस्थाओ के क्रियान्वयन में अनेक बाधाये आ रही है। पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियो, अधिकारो एवं दायित्व के निर्धारण के संदर्भ में 73वें संविधान संसोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 जी में पूरे अधिकार राज्यो की विधान सभाओ को दिये गये है। यह अपेक्षा की गई है कि विधान सभा इन संस्थाओं को नियम बनाकर इतनी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी कि वे

प्रभावी ढंग से स्वशासी निकाय के रुप में कार्य कर सकें। सरकार ने जो भी अधिकार दिये है वे आधे–अधूरे व साधन विहीन है।

ग्राम विकास की योजनाओ की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि नीचे के स्तर पर जन भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए अर्थात नीतिया तो अपनी जगह ठीक है उनका उद्देश्य ईमानदारी है परन्तु वे लोग जो प्रशासन में काबिज है, अपने अधिकार को आसानी से अपने चंगुल से नहीं निकलने देना चाहते। इसलिये अड़चने आना स्वभाविक है प्रशासन तंत्र सदियो से सत्ता का अधिकार अपने हाथ में लिये है उस तंत्र को छोड़ने में भारी असुविधा महसूस होना स्वभाविक है। पंचायतीराज व्यवस्था विश्वास, नैतिकता, निस्वार्थता की अपेक्षा करती है। मुरैना जिले में पंचायतीराज के माध्यम से विकास योजनाओ से ग्रामीण आर्थिक विकास हुआ है। इसमें ग्रामीण विकास, वित्त योजना, कृर्षि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, वन, मछली पालन, सभी क्षेत्रो में विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रो में परम्परागत व आधुनिक दोनो प्रकार से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण जन सहयोग द्वारा हल करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में यदि देखे तो ग्राम पंचायतो न केवल ग्रामीण विकास के लिये अतिआवश्यक है वरन् यह तो एक ऐसी समिति है जिसके द्वारा लोक तांत्रिक व्यवस्था को उचित जामा (पोसाक) पहनाया जा सका। ग्राम पंचायते ही वह वास्तिविक माध्यम है जिनके द्वारा स्थानिय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव की जा सकती है। ग्राम पंचायते गॉव में स्वास्थ्य नेतृत्व का विकास करने में भी सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि "हरेक गॉव में लोगो का हुकुमत या पंचायत शासन होगा, उसके पास ही पूरी सत्ता और ताकत होगी"।

सन्दर्भ सूची

1- *S.K. Ray will help solve the problem of the poor kurukdhetra vol.xxv, lll no. 10 February 16th (1980) pp.6-10*
2. *जिला सांख्यिकी पुस्तिका – मुरैना*
3. *हरिजन सेवक 13/04/40*
4. *पंचायिका दिसम्बर 2000*
5. *योजना 07/03/1998*
6. *आर्थिक जगत 30/04/1992, 21/03/1995*
7. *कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय*
8. *प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार वित मंत्रालय*
9. *जिला ग्रामीण अभिकरण वार्षिक रिपोर्ट जिला मुरैना*
10. *दस्तक जिला पंचायत, मुरैना*